ालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

16/1/14 प्रार्थी वकील उपस्थित। वास्ते जवाब तलबी पत्रा. दिनांक 6/2/14 को पेश हो। तलबाना टी.ए. भी आवश्यक अदा की जाती है।

6/2/14 वकुलाय फरीकेन उप. श्रीमान P.O. सहाय डीगर राज कार्य म व्यस्त है। लिहाजा पत्रावली दिनांक 7-2-14 को उनके समक्ष पेश हो।

रीडर

[illegible] वकुलाय फरीकेन उपस्थित अधिवक्तागण ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पूर्वादेश पालना में दि0 [illegible] को पेश होवे।

7/2/14 वकुलाय फरीकेन उप.। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 12-2-14 को पेश हो।

17/2/14 वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नतीजे से कम होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर की जावे।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, अलवर
पीठासीन अधिकारी – रविन्द्र कुमार शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या
182/13

दायर दिनांक
13.08.2013

निर्णय दिनांक 17-2.14

1 देवेन्द्र पुत्र पतराम जाति अहीर निवासी ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

उनवान

1 पतराम पुत्र पूरना
2 रतनलाल
3 जगमालसिंह
4 नरपालसिंह पुत्रान बुद्धा
5 कौशल्या बेवा ओमपाल
6 इन्द्रपाल
7 अनिल
8 राकेश पुत्रान ओमपाल
9 मुर्ति पुत्री पतराम
10 आजाद सिंह पुत्र सतपाल जाति अहीरान निवासी ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
11 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राज)

बनाम

– प्रार्थी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज.टी.ए. आदेश 39 नियम 1 व 2
सपठित धारा 151 जा.दी

उपस्थित

1 श्री विकास यादव – अभिभाषक प्रार्थी
2 श्री समय सिंह – अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 5

निर्णय

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

5

प्रति, प्रार्थी ने मय अभिभाषक उपस्थित होकर अपने वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.ए. आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश किया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराज खसरा नम्बर 260/1-12, 264/0-19, 451/839/0-05, 487/3-01, 490/3-09, 492/1-19, 495/1-18, 651/7-00 बीघा वाके ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर स्थित है। विवादित आराजी मिन प्रार्थी की हिन्दु गुस्तरफा खानदान की दादालाई की आराजी है। जिसे मिन प्रार्थी के हक व हकूक बाई बर्थ निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 मिन प्रार्थी का सगा पिता है। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 8 के बहकावे मे आया हुआ है। अपना अपने परिवार का भलाबूरा सोचने समझने की शक्ति खो चुका है जिस कारण विवादित आराजी मे से खसरा नम्बर 492, 495 किता 2 कुल रकबा 3-17 बीघा मे अपने हक हिस्से से ज्यादा रकबा का बेचान अप्रार्थी संख्या 10 को जरिये बयनामा कर दिया। बयनामा के आधार पर अप्रार्थी संख्या 10 के नाम इन्तकाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड मे हो गया। उक्त बयनाम मिन प्रार्थी के हक हिस्से तक बातिल व बेअसर है। मिन प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का जो विवादित आराजी मे जो 1/2 हिस्सा है उसमे से अपने 1/4 भाग पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के साथ शामलात मे काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर मिन प्रार्थी का वास्तविक कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के बहकावे मे आकर दिनांक 12.08.2013 को मिन प्रार्थी को ऐलानियां तौर पर धमकियां दी है कि मै विवादित आराजी मे अपने समस्त हक हिस्से को दीगर लोगो को बेचान करूंगा और तुझे काश्त नही करने दूंगा। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक ईरादो मे कामयाब हो गए तो मिन प्रार्थी को अपनी दादालाई आराजी को उपयोग-उपभोग से वंचित होना पडेगा अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत मे रूपयो मे नही आंकी जा सकीग इसलिए मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण जरिये हुक्मईम्तनाइ चंदरोजा से पाबंद करावाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमे अंकित किया गया कि प्रार्थी ने अपना वाद व शपथ पत्र झूठा पेश किया है उसका कोई प्राईमा फेसी केस आयद व साबित नही होता है। प्रार्थी अरसा दराज पूर्व ही मिन प्रार्थी संख्या 1 से अपना हक हिस्सा लेकर परिवार से अलग हो गया था और अलग रहता है। उसका विवादित आराजी मे कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नही है, गैर काविज गैरवारसा है। दिनांक 12.08.2013 की कहानी मिथ्या व मनगढंत है। जब प्रार्थी का कोई सरोकार व सम्बंध नही है ना कब्जा है तो उसे बेदखल करने का या हानि पहुँचाने का प्रशन ही नही है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को हुक्मईमतनाइ दवामी सें पाबंद करावाने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

बहस विद्वान वकुलाय सुनी गयी। बहस मे अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराया और कहा कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का सगा पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 पतराम के पुत्र ओम के वारिस है। प्रतिवादी संख्या 9 पतराम की पुत्री है। प्रतिवादी विवादित आराजी को जबरन बेचान करना चाहता है जबकि आराजी दादालाई है और वादी का इसमे बाई बर्थ हिस्सा निहित है।

प्रतिवादी वकील ने अपने बहस मे अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराया साथ ही उल्लेख किया कि वादी ने अपना वाद शुद्वहस्त होकर प्रस्तुत नही किया है। दिनांक 13.08.2013 को दावा प्रस्तुत किया और उसी दिन मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश हुए परंतु दिनांक 21.08.2013 को खसरा नम्बर 651 की रजिस्ट्री वादी की पत्नि के नाम करवाई और इन्तकाल खुलने के बाद दिनांक 26.08.2013 को तहसील मे अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। स्वयं वादी ने न्यायालय के आदेशो की पालना नही की। देवेन्द्र की पत्नि सीमा का इन्तकाल मे अमल आ गया फिर भी उसे पक्षकार नही बनाया। यह सब तथ्य सिद्व करते है कि वादी वकील शुद्वहस्त होकर न्यायालय मे नही आये है।

विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादी वकील ने वाद शुद्वहस्त होकर प्रस्तुत नही किया है ऐसी स्थिति मे वादी कोई रिलिफ पाने का अधिकारी नही है, और अपूरणीय क्षति की सम्भावना एवं सुविधा का संतुलन भी बहक अप्रार्थी प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.2.14 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सारे इंजलास सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner